बड़ा हिस्सा टीकाकरण के दायरे के बाहर

यह वैक्सीन के सुरक्षा कवच को भी आसानी से भेदते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके लक्षण अभी माइल्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि आबादी का जो हिस्सा वैक्सीन के सुरक्षा दायरे से बाहर है, उसके संक्रमित होने पर लक्षण पिछले संक्रमण जितने गंभीर भी हो सकते हैं।

नवीन पंडित।।

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले देश में चिंताजनक ढंग से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में नए केस पाए जाने के बाद सोमवार को भारत में ऐसे मरीजों की संख्या 38 हो गई। कई अन्य देशों में भी इसका फैलाव उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक 63 देशों में इसके पहुंचने की डब्ल्यूएचओ पुष्टि कर चुका है। दुनिया में फिलहाल कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के माने जा रहे हैं, जो सबसे पहले भारत में पाया गया था। मगर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ खास बात यह है कि इसका तेज संक्रमण न केवल दक्षिण अफ्रीकी देशों में देखा गया जहां डेल्टा वेरिएंट प्रमुखता में नहीं है, बल्कि ब्रिटेन जैसे देशों में भी पाया गया, जहां डेल्टा ही प्रमुख वेरिएंट है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ओमिक्रॉन के बारे में अभी जो एक बात यकीन के साथ कही जा सकती है, वह है तेजी से फैलने की इसकी क्षमता। यह वैक्सीन के सुरक्षा कवच को भी आसानी से भेदते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके लक्षण अभी माइल्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि आबादी का जो हिस्सा वैक्सीन के सुरक्षा दायरे से बाहर है, उसके संक्रमित होने पर लक्षण पिछले संक्रमण जितने गंभीर भी हो सकते हैं। इस लिहाज से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिले सबक याद रखे जाने चाहिए। भारत में तो अब भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण के दायरे के बाहर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने देश में बच्चों को टीका लगाने का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन के बच्चों में भी फैलने को लेकर जानकार खास तौर पर आगाह कर रहे हैं।

ऐसे में साफ है कि ओमिक्रॉन को लेकर जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है। वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जहां बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने की जरूरत है, वहीं बूस्टर डोज देने की भी व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। बूस्टर डोज के बारे में यह कहा जा रहा है कि तीसरी डोज पहले की दोनों डोज से अलग होनी चाहिए। भारत में चूंकि ज्यादातर लोगों को दोनों डोज कोविशील्ड की लगी हैं, इसलिए तीसरी डोज कोवैक्सीन की हो सकती है। हालांकि सबसे अच्छा विकल्प एमआरएनए (मॉडर्ना और फाइजर द्वारा विकसित) वैक्सीन को माना जा रहा है।

जाहिर है, बूस्टर डोज के लिए कोवैक्सीन का उत्पादन तेजी से बढ़ाने या मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी कंपनियों के टीकों का बड़े पैमाने पर ऑर्डर बुक करने और उनकी सप्लाई सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए भी नीतिगत फैसले लेने होंगे। सरकार को इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा ताकि हालात बेकाबू होने की नौबत न आए।

'स्वर्गस्थ'

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

शक्ति से युक्त रहना स्वर्ग है । स्वर्ग आनंद की स्थिति है। देवता उसी में निरंतर विचरण करते है। इस चिर सुख को सहयोग और समन्वय के द्वारा पाया जाता है। मृत्यु के बाद स्वयं के नाम के आगे 'स्वर्गस्थ' शब्द रखवाने के लिए हमें केवल मरना पड़ता है। लेकिन अपने जीवन काल के दौरान 'स्वर्गस्थ' लिखवाने के लिए जिंदगी भर अपने से संघर्ष करना होता है। इसलिए संघर्ष भरे दौर में भी हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि हर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करना है। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए– 'संग़हर्ष'। बस फिर दुनिया बदल जाएगी। ठोकर खा कर गिरना फिर खुद ही खुद को संभालना, संभलकर दोबारा चलना– यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी। कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी।

संपादकीय

आयोग करे पहल

अब वक्त आ गया है कि मुफ्तखोरी और लोककल्याण के भाव के बीच की महीन लकीर को स्पष्ट किया जाए। इसे स्पष्ट करने का दायित्व चुनाव आयोग और न्यायपालिका को ही निभाना होगा। कार्यपालिका वोट बैंक के चक्कर में इस तरफ ध्यान देने से रही। अगर राजनीतिक दलों में एकराय हो तो बात बन भी सकती है, हालांकि ऐसी पहल करने का उनके लिए खतरा भी है। जो दल इस लकीर को स्पष्ट करने की कोशिश करेगा, उसे जनविरोधी होने का आरोप भी झेलना पड़ सकता है। इसमें शक नहीं कि लोककल्याण का भाव समाज के हर तबके के कल्याण में निहित होता है। ऐसे में जो पिछड़े रह गए हैं, जो इलाके विकास से वंचित हैं, उन्हें सहयोग तो मिलना ही चाहिए। इस पर संजीदा लोगों को शायद ही एतराज हो। लेकिन समाज में मुफ्तखोरी की आदत बढ़ाने से यह मकसद पूरा नहीं होता। मुफ्तखोरी का चलन राज्यों के कोष पर दबाव बढ़ा रहा है। यह दबाव बाद में केंद्र और राज्यों के बीच नए झगड़ों की वजह भी बनता है। मुफ्तखोरी के वायदे के चलते जब राज्यों की अपनी अर्थव्यवस्था हांफने लगती है तो वे केंद्र से अतिरिक्त मदद की आक्रामक मांग पर उतर आते हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र की भी ऐसी मांगों के संदर्भ में अपनी सीमाएं होती हैं। राज्यों की हर मांग को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं होता। फिर इसे लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू होती है। इसलिए उम्मीद चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से ही की जा सकती है। आखिर हाल के दिनों में जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं, सब इन्हीं दोनों संस्थाओं की ही पहल का परिणाम हैं।

पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक पार्टियां मुफ्तखोरी बढ़ाते वायदों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करती रहेंगी। यह अलग बात है कि इन सवालों के बावजूद फिलहाल इस ट्रेंड के थमने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे।

सौगात की सियासत

उमेश चतुर्वेदी।।

साल 1952 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक के तमाम चुनावों में एक बात कॉमन है। हर चुनाव में राजनीतिक दल उन सहूलियतों के वायदे पर ही वोटरों को लुभाने की कोशिश करते रहे हैं, जिन्हें संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारत जैसे देश में जहां आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आज भी हैं, चुनावी वायदों को लोककल्याणकारी राज्य के तकाजों के अनुरूप माना जाता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में लोककल्याण के नाम पर हो रही मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाले चुनावी वायदों का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। हालांकि इस ट्रेंड पर सवाल भी उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक पार्टियां मुफ्तखोरी बढ़ाते वायदों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करती रहेंगी। यह अलग बात है कि इन सवालों के बावजूद फिलहाल इस ट्रेंड के थमने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे।

पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर ही नजर डालें तो तमाम दल गुजारा भत्ता देने से लेकर बिजली–पानी का बिल माफ कराने तक भांति–भांति के वादे कर रहे हैं। हाल के वर्षों में ऐसे वायदे बहुत कारगर भी रहे हैं। दक्षिण में साड़ी, एक रुपये किलो चावल और

बेटी की शादी में बीस हजार रुपये से शुरू हुए ये एलान देखते ही देखते दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी तक पहुंच गए। आगामी चुनावों की बात करें तो गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली–पानी के साथ ही महिलाओं को मासिक भत्ता भी देने की बात कर रही है। कांग्रेस और अन्य दल भी इसमें पीछे नहीं हैं।

मुफ्तिया वायदे का यह सवाल जन प्रतिनिधित्व कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा था। इस पर जुलाई 2013 में कोर्ट ने कहा था कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वायदों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के हिसाब से भ्रष्टाचार या गलत कार्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन साल 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था, 'मुफ्तखोरी से लोग आलसी होते जा रहे हैं।' मुफ्तखोरी वाली घोषणाओं पर पहली बार सवाल नब्बे के दशक में उठे थे, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ओमप्रकाश चौटाला ने राज्य में किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए थे। हरियाणा बिजली बोर्ड की माली हालत पहले से ही खराब थी, इस फैसले के बाद वह और बदहाल हो गया। हालांकि सभी राज्यों के बिजली निगमों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। इसकी मुख्य वजह भी बिजली बिल माफ करने के वादों का चलन ही है। दिल्ली में परिवहन निगम का घाटा भी किसी से छुपा नहीं है। मुफ्तखोरी की यह व्यवस्था राजकोष को जबर्दस्त चोट पहुंचाती है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने साल 2019 में कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुफ्त में सामान बांटना या कर्ज माफ करना देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दुर्भाग्यवश इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

सूडोकु नवताल- 5351

डेलिगेट

			2					4
			6					1
	5		8			2		3
		7					6	
	3					8		
1		6			3		7	
2					5			
8					4			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5350 का हल

6	5	4	3	1	9	7	2	8
7	2	3	5	8	4	9	6	1
8	9	1	7	2	6	3	4	5
1	7	2	8	3	2	5	9	4
4	3	8	9	6	5	1	7	6
5	6	9	4	7	1	8	3	2
2	8	7	1	4	3	6	5	9
9	1	6	2	5	7	4	8	3
3	4	5	6	9	8	2	1	7

अपना ब्लॉग

बिजली निगम भी अरबों के घाटे में

मोहन। सत्ता को साध्य मानने वाले इस दौर में राजनीतिक चलन ऐसा हो गया है कि मुफ्तखोरी के वायदे का झोल समझने वाले दल भी इसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि अगर उन्होंने वायदे नहीं किए तो उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी। मतदाताओं का बड़ा वर्ग भी इस चलन को समझने लगा है। लेकिन उसका रवैया भी लगे हाथों फायदा उठा लेने का है। बिजली–पानी के बिल या सस्ते कर्ज का भुगतान हैसियत होते हुए भी वह इस उम्मीद में टालता रहता है कि चुनावों के ठीक पहले उसे माफी मिल ही जाएगी। दिल्ली विधानसभा के आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का कामकाज घाटा 1750.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। उत्तराखंड का बिजली निगम भी अरबों के घाटे में है। पंजाब की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। इसके बावजूद लगातार हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से भत्ते, बिजली, पानी, लैपटॉप, मुआवजा, आदि तरह–तरह की सौगातें देने के वायदे कर रहा है।